सरकारी जात, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिषिक्त
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 18 मार्च, 2020
फाल्गुन 28, 1941 शक सम्बत

उत्तर प्रदेश शासन
मूलतः एवं खिनाम्कर्म अनुमान

संख्या 560/86-2020-55-08
लखनऊ, 18 मार्च, 2020
अधिसूचना

साफ्टनि-१२

खान और खिनिज (विकास और विनियम) अभियोजन, 1957 (अभियोजन संख्या 67 दिन 1957) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, सामान्य, उत्तर प्रदेश उपखिनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में संशोधन करने की वृद्धि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश उपखिनिज (परिहार) (उच्चार्दशां संशोधन) नियमावली, 2020

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपखिनिज (परिहार) (उच्चार्दशां संशोधन) नियमावली, 2020 कहीं जापेगी।

(2) यह जाप में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रदत्त होगी।

2–उत्तर प्रदेश उपखिनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में नियम 52क के पश्चात
निम्नलिखित नियम बढ़ दिया जायेगा, अथवा ये:

52क–भवन/विकास परियोजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया में पापत्त खिनिज के लिए अनुमान नया पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया--
नियम 52क

(1) इस नियमावली में अन्तरिक्ष किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी भवन या किसी विकास परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया में पापत्त खिनिज कोई खिनिज ऐसी परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया में निकाला जाना हो, तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अनुमान पत्र के आधार पर उसका निर्माण या उपनीय किया जाएगा।

(2) आवेदन पत्र प्राप्त होने पर जिला खान अधिकारी/खान निरीक्षक द्वारा अत्यन्त
निरीक्षण और उपनिय खिनिज की मात्रा का निर्धारण करने के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट एक नाह के
मीटर आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 मार्च, 2020

(3) उत्तर प्रदेश उपचर (परिवार) नियमावली, 1963 की अनुसूची-एक में यथा विहित प्रयोग रैंकल्टी के भुगतान के आदाय पर उत्तर अनुजा न प्रदेश किया जा सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि गैर यांगिकिपक निजी आवासीय मत्स्य उक्त से छूट प्राप्त होगे.

अग्रत प्रतिबन्ध है कि यदि उत्तर अधिक के मीटर आवेदन का निर्णय नहीं किया जाता है

तो निर्धारित मात्रा की रैंकल्टी की धनस्हानी के भुगतान पर अनुजा पत्र जारी किया गया समझा जायेगा।

आजा से,

डा० रोहन जैकब,
सचिव।

टिप्पणी

(1) उत्तर प्रदेश उपचर (परिवार) नियमावली, 1963 अधिसूचना संख्या 1575-एम-18- बीएम-97-58,

(2) प्रथम संशोधन अधिसूचना संख्या 331-एम/18-एफएम-66.

(3) द्वितीय संशोधन अधिसूचना संख्या 1181-एम/18-एफएम-21.

(4) तीसरी संशोधन अधिसूचना संख्या 3388-आईएम/18-एफ-एम-68.

(5) चौथे संशोधन अधिसूचना संख्या 2746-एम/18-12(3)-72.

(6) पन्थ संशोधन अधिसूचना संख्या 4669-18-12-57-75.

(7) बारहवां संशोधन अधिसूचना संख्या 1518-18-12-200-77.

(8) सदस्य संशोधन अधिसूचना संख्या 3157-18-12-57-75-एम-1963एम-एम-7(7)-1978.


(15) चौथवां संशोधन अधिसूचना संख्या 6698-18-12-206-85.

(16) पादर्शी संशोधन अधिसूचना संख्या 4888-18-12-89-200-77.

(17) सहलवान संशोधन अधिसूचना संख्या 2931-18-12-90-3(16)-90.
In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. 560/LXXXVI-2020-55-08, dated March 18, 2020:

No. 560/LXXXVI-2020-55-08
Dated Lucknow, March 18, 2020

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act no. 67 of 1957), the Governor is pleased to make the following rules, with a view to amending the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 1963.

THE UTTAR PRADESH MINOR MINERALS (CONCESSION) (FORTY-NINTH AMENDMENT) RULES, 2020

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) (Forty-ninth Amendment) Rules, 2020.

   (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Insertion of new Rule 52B

2. In the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 1963, after rule 52A The following rules shall be inserted, namely:-

   52B. Procedure for grant of permit for mineral found in the process of construction of New Building/Development Projects-

   (1) Notwithstanding anything contained in these rules, where any mineral found in the process of construction of any building or a development project has to be extracted in the process of execution of such project, the same shall be disposed off or consumed on a permit issued by the District Magistrate.

   (2) Upon receipt of the application, the District Magistrate may accept or reject the same within one month after site inspection and assessment of the available mineral by the District Mines Officer/Mines Inspector.

   (3) The said permit may be granted upon payment of the royalty applicable as prescribed in Schedule-1 of the Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rules, 1963:
Provided that non commercial private residential buildings shall be exempted from the above:
Provided further that if the application is not disposed off within the said period, the permit shall be deemed to have been issued upon payment of the amount of royalty of the assessed quantity.

By Order,
DR. ROSHAN JACOB,
Sachiv.

N.B. :-
2. First Amendment was issued vide notification No. 331- M/XVII F.M. 331-66 dated November 16, 1968.
4. Third Amendment was issued vide notification No. 3388- 1-M/XVIII F-15 MM-68, dated August 31, 1970.
7. Sixth Amendment was issued vide notification No. 1518-XVIII-12-200-77, dated April, 25, 1978 published in the U.P. Extra ordinary Gazette, dated May 01, 1978.


27. Twenty Sixth Amendment was issued vide notification no. 1704/86-2010-83-2010, Dated May 12, 2010 published in the U.P. Extra ordinary Gazette dated May 12, 2010.

28. Twenty Seventh Amendment was issued vide notification no. 7338/86-2011-183/2011, dated December 01, 2011.


By order,
ATMA RAM,
Vishesh Sachiv.